**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

एकल **पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख**

दाण्डिक अपील **क्रमांक 389/2004**

अपीलार्थी (अभिरक्षा में) : चंद्र कुमार

**बनाम**

**प्रत्यर्थी** : छत्तीसगढ़ राज्य

दाण्डिक अपील **क्रमांक 388/2004**

अपीलार्थी (अभिरक्षा में) : अरविंद शुक्ला

**बनाम**

**प्रत्यर्थी** : छत्तीसगढ़ राज्य

दाण्डिक अपील **क्रमांक 393/2004**

अपीलार्थी : राजेंद्र नामदेव

अभियुक्त (अभिरक्षा में)

**बनाम**

**प्रत्यर्थी** : छत्तीसगढ़ राज्य

दाण्डिक अपील **क्रमांक 396/2004**

अपीलार्थी (अभिरक्षा में) : हीराराम सांवरा

**बनाम**

**प्रत्यर्थी** : छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय सुनाये जाने हेतु दिनांक 02.09.2008 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

**दिलीप रावसाहेब देशमुख**

न्यायाधीश

दाण्डिक अपील **क्रमांक 389/2004**

अपीलार्थी (अभिरक्षा में) : चन्द्र कुमार, पिता चानूराम, उम्र लगभग 29 वर्ष, व्यवसाय सेवा, निवासी पथरिया, जिला बिलासपुर (छ.ग.), वर्तमान निवासी चलगली, जिला रामानुजगंज (छ.ग.)

**बनाम**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**प्रत्यर्थी** : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना, चलगली, जिला सरगुजा (छ.ग.)

दाण्डिक अपील **क्रमांक 388/2004**

अपीलार्थी (अभिरक्षा में) : अरविंद शुक्ला, पिता श्री इंद्रजीत शुक्ला, उम्र लगभग 35 वर्ष, पुलिस आरक्षक, पुलिस थाना चलगली, निवासी ग्राम चलगली, तहसील वाड्रफ नगर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

**बनाम**

**प्रत्यर्थी** : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना, चलगली, वाड्रफ नगर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

दाण्डिक अपील **क्रमांक 393/2004**

अपीलार्थीअभियुक्त (अभिरक्षा में) : राजेंद्र नामदेव, पिता श्री भोलाप्रसाद नामदेव, उम्र लगभग 42 वर्ष, शासकीय सेवा, निवासी ग्राम

निधा, पुलिस थाना बैकुंठपुर, जिला रीवा, म.प्र.
वर्तमान में चलगली

**बनाम**

**प्रत्यर्थी** : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना, चलगली, जिला जिला अंबिकापुर, (छ.ग.)

दाण्डिक अपील **क्रमांक 396/2004**

अपीलार्थी( अभिरक्षा में) : हीराराम सांवरा, पिता घासीराम सांवरा, उम्र 20 वर्ष, व्यवसाय-सेवा, निवासी सारागांव, जिला जांजगीर, वर्तमान में पुलिस थाना चलगली, जिला. सरगुजा, छ.ग.)

अभियुक्त क्रमांक 02

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**बनाम**

**प्रत्यर्थी** : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना, चलगली, जिला सरगुजा (छ.ग.)

---

**उपस्थित:**

अपीलार्थीगण की ओर से श्री वी.सी. ओट्टलवार, सहित श्री दशरथ लाल, अधिवक्ता (दाण्डिक अपील क्रमांक 389/2004 और दाण्डिक अपील क्रमांक 393/2004 में)

अपीलार्थी की ओर से श्री एस.एन. द्विवेदी, अधिवक्ता ( दाण्डिक अपील क्रमांक 388/2004 में)

अपीलार्थी की ओर से श्री ए.के. प्रसाद, अधिवक्ता (दाण्डिक अपील क्रमांक 396/2004 में)

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से श्री जी.डी. वासवानी, शासकीय अधिवक्ता सहित श्री पी.आर. पाटनकर, पैनल अधिवक्ता ।

---

**<u>निर्णय</u>**

(2 सितम्बर, 2008 को घोषित किया गया)

यह निर्णय दाण्डिक अपील क्रमांक 389/2004 (अपीलार्थी चंद्र कुमार), दाण्डिक अपील क्रमांक 388/2004 (अपीलार्थी अरविंद शुक्ला), दाण्डिक अपील क्रमांक (अपीलार्थी राजेंद्र नामदेव) और दाण्डिक अपील क्रमांक (अपीलार्थी हीराराम सांवरा उर्फ छोटू) पर लागू होगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2. सत्र विचारण क्रमांक 347/2001 में दिनांक 12.04.2004 के निर्णय द्वारा उपर्युक्त अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (छ) के अंतर्गत सिद्धदोष किया गया और दिनांक 30.08.2001 की रात्रि में अभियोक्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार कारित करने के लिए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक को 25,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया, तथा व्यक्तिक्रम होने पर प्रत्येक पर प्रत्येक को वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश से दंडित किया गया। विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सरगुजा द्वारा सभी अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 450, 363 और 506-ख सहपठित धारा 34 के तहत आरोपों से दोषमुक्त किया गया है।

3. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दिनांक 30.08.2001 को लगभग 11.00 बजे रात्रि में ऊपर नामित सभी चार अपीलार्थी, जो चलगली पुलिस थाना में आरक्षक के रूप में पदस्थ थे, ने लगभग 20 वर्षीय अभियोक्त्री का अपहरण करने और उसके साथ सामूहिक बलात्संग कारित करने के आशय से घर में अनाधिकार प्रवेश किया। उसका मुंह बंद करने और उसकी आंखों पर पट्टी बांधने के बाद, अपीलार्थी अभियोक्त्री को पुलिस लाइन में स्थित आरक्षक चंद्र कुमार के क्वार्टर में ले गए। क्वार्टर में, उसकी आंखों और मुंह से कपड़ा हटाने पर, अभियोक्त्री ने अपीलार्थीगण को पहचान लिया और

चिल्लाने का प्रयास किया लेकिन अपीलार्थीगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी और उसे चुप करा दिया। अपीलार्थी अरविंद शुक्ला और चंद्र कुमार कमरे से बाहर चले गए। अपीलार्थी हीराराम सांवरा उर्फ छोटू और राजेंद्र नामदेव ने अभियोक्त्री के साथ एक के बाद एक बलात्कार कारित किया। अभियोक्त्री ने घटना के बारे में अपनी मां अ.सा. 3 को बताया। चूंकि अभियोक्त्री के पिता अ.सा. 2 घर पर नहीं थे, इसलिए उसकी मां अ.सा. 3 ने अभियोक्त्री को खोबी नामक गांव में रंजीत गुप्ता के घर भेज दिया जहां अभियोक्त्री दो दिनों तक रही। तीसरे दिन, उसके पिता अ.सा. 2 उसे घर ले आए। उसने घटना के विषय में उन्हें बताया। लगभग 7.30 बजे रात्रि में अभियोक्त्री अपने पिता के साथ प्रथम सूचना रपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस थाना चलगली गई लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। इसके बाद, दिनांक 3.8.2001 को उसके पिता अ.सा.2 ने स्थानीय नेता और प्रभावशाली व्यक्ति राज कुमार से संपर्क किया और अभियोक्त्री के साथ अंबिकापुर गए और पुलिस अधीक्षक से मिले। इसके बाद, उसके कथन पर अनिल सिंह अ.सा. 4 द्वारा एक रिपोर्ट प्र.पी.1 लिखी गई और पुलिस थाना अंबिकापुर में दर्ज की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अभियोक्त्री की डॉ. श्रीमती सरिता सिंह अ.सा.9 के द्वारा दिनांक 3.9.2001 को चिकित्सीय जांच की गई, जिसमें निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

**i.** बाईं बांह के पृष्ठभाग के केंद्र पर लगभग 2 सेमी. का एक छोटा सतही घर्षण, पार्श्व से मध्य सीमा तक **½** मिमी. - लाल रंग का - 24 घंटे के भीतर बना।

**ii.** दाहिनी कोहनी के ठीक नीचे **½** सेमी **x** 1/4 सेमी. का एक और छोटा सतही घर्षण, काले रंग का, 3 दिनों से अधिक पूर्व का ।

**iii.** कलाई के जोड़ से लगभग 6 सेमी ऊपर, बाएँ अग्रबाहु के अधोभाग पर त्वचा की हल्की लालिमा, लंबाई 2 **x** 1 सेमी।

**iv.** बाएँ पैर के मध्य भाग के पीछे तीन खरोंचें, 6 सेमी **x** 1 मिमी, 3 सेमी **x** 1 मिमी और 5 सेमी **x** 1 मिमी।

**V**. दाहिने पैर के टखने के मध्य भाग पर 1 सेमी **x ½** सेमी का एक खरोंच - काला रंग - अवधि 72 घंटे

**vi**. उसके गुप्तांगों पर कोई आंतरिक या बाहरी चोट नहीं देखी गई। गुप्तांगों के बाल अच्छी तरह विकसित, काले रंग के और उलझे हुए नहीं थे। योनि में दो उंगलियाँ आसानी से जा सकती थीं।

**vii**. गुप्तांगों की जाँच के दौरान कोई दर्द या कोमलता नहीं थी। कोई चोट नहीं देखी गई। हाइमन फटी हुई थी।

**viii**. बाहरी और आंतरिक जननांगों से कोई रक्तस्राव नहीं देखा गया।

5. उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर, डॉ. सरिता सिन्हा ने अभियोक्त्री पर बलात्कार के संबंध में कोई निश्चित राय देने में असमर्थता व्यक्त की। हालाँकि, उनकी राय में, यौन संबंध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि योनिच्छद में सूजन थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. डॉ. सरिता सिंह अ.सा. 9 ने दो योनि स्लाइड तैयार कीं और उन्हें अभियोक्त्री के अंतःवस्त्र के साथ रासायनिक और सूक्ष्म परीक्षण के लिए सील कर दिया, जिसे प्र.पी.5 के तहत दिनांक 3.9.2001 को जब्त कर लिया गया था। सभी अपीलार्थीगण को दिनांक 4.9.2001 को गिरफ्तार किया गया और उन्हें चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ. बी.आर. शर्मा अ.सा. 10 ने अपीलार्थीगण - चंद्र कुमार और राजेंद्र नामदेव की दिनांक 5.9.2001 को जांच की और राय दी कि यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि वे संभोग करने में असमर्थ थे। डॉ. बी.आर. रात्रे अ.सा. 11 ने अपीलार्थीगण हीराराम सांवरा और अरविंद शुक्ला की दिनांक 5.9.2001 को जांच की और इसी तरह की राय दी। दिनांक 5.9.2001 को प्रत्येक अपीलार्थी द्वारा पहने गए अंतःवस्त्र को प्र.पी.19, प्र.पी.20, प्र .पी.21 और प्र.पी.22 के तहत जब्त कर लिया गया। न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा अपीलार्थीगण से जब्त किए गए अंतःवस्त्र पर वीर्य के धब्बे या मानव शुक्राणुओं की उपस्थिति नहीं पाई गई। अभियोक्त्री की योनि स्लाइड और अंतःवस्त्र को भी रासायनिक और सूक्ष्म परीक्षण के लिए भेजा गया था। प्र.पी.29 के अनुसार, न्यायिक विज्ञान

प्रयोगशाला द्वारा अभियोक्त्री की योनि स्लाइड और अंतःवस्त्र पर वीर्य के धब्बे और मानव शुक्राणु पाए गए थे। जाँच पूरी होने के बाद, अपीलार्थीगण पर भारतीय दंड संहिता की धारा 450, 363, 506-ख सहपठित धारा 34 और धारा 376(2)(छ) के तहत अभियोजित किया गया।

7. अपीलार्थीगण ने निर्दोष होने और झूठे फंसाये जाने का अभिवाक किया। अपीलार्थी की ओर से अभियोजन पक्ष ने बचाव में 14 साक्षियों की जांच की। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने भा.दं.सं. की धारा 34 सहपठित त धारा 450, 363, 506-ख सहपठित धारा 34 के कथित अपराध के संबंध में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया। इसने दिनांक 02.11.2002 को एक मौका निरीक्षण भी किया और यह निष्कर्ष दर्ज किया कि अभियोजन पक्ष का परिसाक्ष्य कि उसे अपीलार्थीगण द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जिन्होंने घर में अनधिकार प्रवेश करने के बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसका मुंह बंद कर दिया और उसे बलपूर्वक चंद्र कुमार के क्वार्टर में ले आए, विश्वसनीय नहीं थी। कंडिका 8 और 9 में, विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "8- इस न्यायालय ने आरोपीगण के निवेदन पर आरोपीगण के अधिवक्ताओं और शासन के ए०जी०पी० की उपस्थिति में दिनांक 2-11-02 को घटनास्थल का मौका निरीक्षण किया था। जिस कमरे में घटना की रात प्रार्थिया सोयी थी, उस कमरे का न्यायालय द्वारा स्वतः अवलोकन किया गया था। प्रार्थी जिस कमरे में सोयी थी वह पटाव वाला कमरा था । उसके उपर खपरा की छानी थी और उस कमरे में खपरे को हटाकर किसी को घुसने की कोई संभावना नहीं थी। प्रार्थी (अ.सा.1] उसकी माता (अ.सा.3] तथा उसके पिता (अ.सा.2] के साक्ष्य का सम्पूर्ण अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई आरोपी रात को प्रार्थिया के घर में घुसकर प्रार्थिया का अपहरण किया था, यह बात प्रमाणित नहीं हुई है ।

9-उपर बताये गये कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि घटना की रात कोई भी आरोपी प्रार्थिया के घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार करने के लिए गृह अतिचार किया था अथवा उसका व्यपहरण किया था, यह बात प्रमाणित नहीं हुई है, अतः आरोपीगण को धारा 450/34 भा०द०वि० के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है ।"

अंत में कंडिका 10 में विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"10- इन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद मैं यह पाता हूं कि प्रार्थीया घटना के समय 18 वर्ष से अधिक उम्र की थी, प्रार्थीया के माता पिता पढ़े लिखे हैं। स्कूल में प्रार्थीया की जन्मतिथि सही सही लिखाई गई होगी। आरोपीगण के विरूद्ध धारा 363/34 भा०द०वि० का अपराध प्रमाणित नहीं होता है क्योंकि वह घटना के समय 18 साल से अधिक थी । अतः आरोपीगण को धारो 363/34 भा०द०वि० के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कंडिका 40 में, विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"40- अवधारणीय प्रश्न कमांक 4 पर निष्कर्ष और निष्कर्ष के आधारः- प्रार्थी (अ.सा.1] के साक्ष्य का बारीकी से अवलोकन किया जावे तो बलात्कार के समय उसे जान से मारने की धमकी देकर उसे डराया गया था, इस संबंध में कोई तथ्य उसके साक्ष्य में नहीं आया है। दूसरी घटना के समय उसके साक्ष्य में नहीं आया है। दूसरी घटना के समय प्रार्थिया का हाथ तोड़ने की धमकी देने का तथ्य आया है, किंतु प्रार्थिया के दस्तखत वाला उक्त पत्र अभियोजन ने पेश नहीं किया है। साथ ही आरोपी नामदेव ने प्रार्थिया के गले में गमछा बांध कर उसको फांसी में लटकायेगा और उसके मां-बाप को जेल भेज देगा ऐसा तथ्य आया है, किंतु उसी समय प्रार्थिया के माता-पिता आ गये थे जिससे आरोपीगण भाग गये थे। इन सब आधार पर मैं पाता हूं कि प्रार्थिया को जान से मारने की धमकी देकर डराया गया था, यह बात प्रमाणित नहीं हुई है, अतः आरोपीगण को शंका का लाभु देते हुए धारा 506 [बी) भा०द०वि० के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।"

कंडिका 36 में विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"प्रार्थिया स्वतः प्रेम में पागल होकर रात को आरोपी छोटू के पास चली गयी थी और तब उसके साथ बलात्कार हुआ था, अतः स्वतः की गलती के कारण वह न तो घटना के समय

चिल्लाई थी और उसकी मां आयी तब भी वह रोयी चिल्लाई नहीं थी और स्वतः की गलती के कारण प्रार्थिया और उसके माता-पिता पहली घटना की रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, किंतु आरोपीगण ने दूसरी घटना कारित कर दी तब रिपोर्ट की गयी थी, अतः उसके शरीर में और गुप्तांग में न चोट आने और घटना के समय न चिल्लाने के आधार पर प्रार्थिया के साक्ष्य पर अविश्वास करना मैं न्यायोचित नहीं समझता हूं।"

कंडिका 37 में विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट प्र.पी.29 पर दृढ़ता से भरोसा किया कि अभियोक्त्री के साथ दिनांक 30.08.2001 की रात्रि में यौन संभोग किया गया था।

".....प्र०पी० 27, 28, 29 के दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी की चडडी और उसके गुप्तांग से बनाये गये स्लाईड को न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर भेजा गया था और राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला नेः प्र०पी029 की रिपोर्ट देकर बतलाया है कि प्रदर्श-ए और बी-1, और बी-2 में वीर्य के धब्बे और मानव शुकाणु पाये गये है। अर्थात प्रार्थिया के चडडी में और उसके गुप्तांग से बनाये स्लाईड में मानव शुकाणु पाये गये थे और घटना दिनांक 30.8.01 के रात की है और प्रार्थिया का डॉक्टरी परीक्षण चार दिन बाद दिनांक 3.9.01 को किया गया है। इस प्रकार प्रार्थिया के साथ घटना की रात संभोग हुआ था यह प्रमाणित हुआ है ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कंडिका 37 में विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने भी निम्नलिखित टिप्पणी की:

"..... साथ ही प्रार्थी दुबली-पतली होने के कारण शायद प्रेमी छोटू से स्वतः मिलने गयी थी, तब घटना हुई थी, अतः प्रार्थिया घटना के पहले और घटना के बाद चिल्लाई नहीं थी। साथ ही प्रार्थिया आरोपी छोटू से प्रेम करती थी। कुआरी लड़की अपने प्रेम को समाज से और माता-पिता से छुपाये रखती है। यदि वह प्रेमी से संभोग कराती भी है तो उसको भी वह गुप्त रखती है। शायद वह छोटू से पूर्व में भी शारीरिक संबंध बनाती थी, किंतु उसने उस तथ्य को छुपाये रखने के लिए स्वतः को पूर्व में संभोग न होना बतला दिया, इसलिए वह संभोग की आदी होना पायी गयी है। इसलिए ही चारों आरोपियों द्वारा संभोग करने के कारण चोटे नहीं है। इसलिए भी आरोपीगण का उक्त बचाव निरर्थक हो जाता है।"

उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर, विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 450, 363, 506-ख सहपठित धारा 34 के तहत आरोप से दोषमुक्त करते हुए सभी अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के तहत सिद्धदोष किया और कंडिका 2 (उपर्युक्त) में दर्शाए अनुसार दंडित किया ।

8. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य के कंडिका 58 और 70 से इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी चंद्र कुमार, अरविंद शुक्ला और राजेंद्र नामदेव को झूठा फंसाया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि डॉ. सरिता सिंह, अ.सा.-9 के परिसक्ष्य, अभियोक्त्री द्वारा उसके साथ हुए सामूहिक बलात्संग के बारे में दिये गये परीसाक्ष्य की पुष्टि नहीं करती है और न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला प्र.पी.29 की रिपोर्ट कि अपीलार्थीगण के अंतर्वस्त्रों पर वीर्य के कोई धब्बे या मानव शुक्राणु नहीं पाए गए थे, भी अपीलार्थीगण की निर्दोषता का संकेत देती है। यह भी तर्क दिया गया कि एक प्रभावशाली स्थानीय नेता राज कुमार के कहने पर अनिल सिंह अ.सा..4 द्वारा लिखी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1, मनगढ़ंत थी। यह भी तर्क दिया गया कि विवेचना अधिकारी श्री एस.एस. पैकरा, अ.सा. 14 के परिसाक्ष्य ने इस संभावना को खारिज नहीं किया कि अभियोक्त्री और अपीलार्थी हीराराम एक-दूसरे के प्यार में पागल थे और उनके बीच यौन संबंध थे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री जी.डी. वासवानी ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किए और कहा कि अभियोक्त्री अ.सा. 1, उसके पिता अ.सा. 2, माता अ.सा. 3 और अनिल सिंह अ.सा. 4 का परीक्षण दिनांक 06.05.2002 को विचारण न्यायालय द्वारा की गई थी। अ.सा.1 से अ.सा. 3 का उसी दिन प्रतिपरीक्षण किया गया और अनिल सिंह अ.सा. 4 का परीक्षण अगले दिन चंद्र कुमार के अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया। अपीलार्थी अरविंद शुक्ला, राजेंद्र नामदेव और हीराराम सांवरा के अधिवक्ता द्वारा अभियोजन पक्ष के अ.सा. 1 से 4 के प्रतिपरीक्षण किये जाने की अनुमति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक 395/2002 में आदेश दिनांक 27.11.2002 द्वारा दी गई थी। इसके बाद अभियोजन पक्ष के अ.सा. 1 से 4 का प्रतिपरीक्षण किया

गया और उन्होंने अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत किया, जो इस बात का संकेत था कि अपीलार्थीगण ने इन साक्षियों को अपने पक्ष में कर लिया था।

10. प्रतिद्वंदी तर्कों पर विचार करने के बाद, मैंने अभिलेख का अवलोकन किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों से यह अब पूर्णतः स्थापित हो चुका है कि अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है, यदि अभियोक्त्री की विश्वसनीयता की जाँच हो चुकी हो और उसमें कोई दोष या संदेह न हो और वह न्यायालय को पूर्णतः सत्य, स्वाभाविक और इतना विश्वसनीय लगे कि न्यायालय को केवल अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज करने में कोई हिचकिचाहट न हो। वर्तमान मामले में, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, जिन्हें साक्षियों के आचरण पर ध्यान देने का अवसर प्राप्त था, ने सभी अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 450, 363 और 506-ख सहपठित धारा 34 के तहत आरोपों से इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया कि अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह अपने आप में अभियोजन पक्ष के परिसाक्ष्य पर गंभीर प्रभाव डालता है, और इसलिए न्यायालय पर अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ जांचने और यह परीक्षण करने की गंभीर जिम्मेदारी है कि क्या अभियोजन पक्ष का साक्ष्य विश्वसनीय है और क्या वह भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (छ) के तहत गंभीर अपराध के लिए दोषसिद्धि का आधार बन सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अब मैं उपरोक्त कसौटी पर अभियोक्त्री और अन्य साक्षियों के परिसाक्ष्य की जाँच करूँगा। परिसाक्ष्य के कंडिका 48 में अभियोक्त्री ने निम्नलिखित कथन प्रस्तुत किये है:

> "48- यह कहना सही है कि मैं रिपोर्ट लिखाते समय केवल एक आदमी का नाम बलात्कार करने वालों में बताया था। यह कहना सही है कि जब मै रिपोर्ट लिखवाने गई थी तो बाकी तीन आरोपी डांटे और धमकाये थे इसलिए मैं तीनों आरोपीयों का नाम बलात्कार करने वालों में लिखा दी थी। फिर गवाह कहती है कि मुझे संदेह हुआ कि बाकी तीन आरोपी भी बलात्कार किए होंगे इसलिए मैं उनका नाम लिखा दी।"

कंडिका 52 में अभियोक्त्री ने निम्नलिखित कथन प्रस्तुत किये है:

"52- यह कहना गलत है कि मैं जहां रिपोर्ट लिखी गई थी वहां आरोपी छोटू का नाम नहीं लिखायी थी। यह कहना सही है कि मुझे जब रात को मेरे घर से उठा कर ले जाया गया था तब मुझे पता नही चला था कि कौन उठा कर ले गया है। यह कहना सही है कि मुझे सुबह सुबह होश आया था। यह कहना गलत है कि इस बीच कौन मेरे से क्या किया मैं उनको नही पहचानती। गवाह स्वतः कहती है कि मैं आरोपी छोटू को पहचानती हूँ। जब मुझे उठाकर ले जाया गया था तब मैं बेहोश नही थी मेरे आंख में पट्टी बंधा था जब कमरे में मेरा आंख खोला गया तो मैं वहां पर आरोपी छोटू को देखी थी वहां पर और कोई नही था उस कमरे में और कोई नही था।"

कंडिका 58 में अभियोक्त्री ने आगे निम्नलिखित कथन प्रस्तुत किये है:

"58- .....यदि प्र.पी.1 की रिपोर्ट में छोटू के अलावा किसी अन्य आरोपी का नाम लिखा हैं तो वो भूल से लिखा गया है। यह कहना सही है कि प्र.पी 1 की रिपोर्ट में मैंने मेरे साथ बारी बारी से कुकर्म किया गया मैंने लिखाया है। गवाह स्वतः कहती है कि मेरे साथ छोटू जब बलात्कार किया तो मैं बेहोश हो गई बाद में कोई और बलात्कार किया होगा तो मैं नही जानती ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कंडिका 70 में अभियोक्त्री ने यह भी कथन प्रस्तुत किये:

"70-..... गवाह स्वतः कहती है कि मैं तीन आरोपीयों को शंक के आधार पर रिपोर्ट की जिस पर वे लोग बंद है। यह कहना सही है कि मेरी रिपोर्ट पर न्यायालय में उपस्थित चारों आरोपी एक साल से बंद है इसकी जानकारी मुझे है। पिछली बार जब मै गवाही देने आयी थी कि मुझे यह नहीं मालूम था कि शेष तीनों आरोपी घटना में नही थे। पहली गवाही देने के बाद मेरी माता पिता से बात हुई तो उन्होने कहा कि शंका के आधार पर किसी को नही फंसाना चाहिए जिस पर शंका न हो उसको नही फंसाना चाहिए फिर मुझे पता चला कि तीनों लोग निर्दोष है।"

कंडिका 72 में अभियोक्त्री ने आरक्षक तुलेश्वर और जयपाल को भी फंसाने का प्रयास किया है, जबकि उन्होंने निम्नलिखित कथन प्रस्तुत किया है:

"72-.. यह सही है कि मैं रिपोर्ट में नामदेव का नाम शक पर आधार पर लिखाई हूँ क्योकि वह थाने में मुझे डांटा था तो मैं समझी कि वही रहा होगा। थाने में तुलेश्वर और जयपाल भी मिले थे वे लोग भी पुलिस वाले है। यह कहना सही है कि तुलेश्वर और जयपाल का

नाम भी शक के आधार पर लिखाई हूँ। यह कहना सही है कि मैं बहुत से पुलिस वालों को जानती हूँ क्योकि मैं थाना के बगल में रहती हूँ।"

कंडिका 77 में अभियोक्त्री ने निम्नलिखित कथन प्रस्तुत किया है:

"77- मैं प्र.डी. 1 के पुलिस बयान देते समय चार लोग मेरे साथ बारी बारी से बलात्कार किये है लिखाई हूँ वह शंका के आधार पर लिखाई हूँ गलत है मेरे साथ एक आरोपी बलात्कार किया है। मेरे पुलिस बयान में बलात्कार के समय दो आदमी कमरे में थे और दो आदमी कमरे के बाहर थे वह शंका के आधार पर लिखाया गया है।"

विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियोजन पक्ष को उसके पूर्व कथन तथा प्रतिपरीक्षण में दिए गए कथन के साथ आमने-सामने रखा गया, जिस पर उसने कंडिका 93 में निम्नलिखित कहा था:

"93. मैं पूर्व में लिखित रिपोर्ट में और पुलिस बयान में तथा न्यायालय में मुख्य परीक्षण देते समय चारों आरोपी बारी बारी से मेरे साथ बलात्कार किये तथा बाद में फोटो खीचें आदि बतायी हूँ और आज केवल एक आरोपी के विरूद्ध बात बता रही हूँ दोनों में से कौन सी बात सच्च, है पूछे जाने पर गवाह बताती है कि आज जो बता रही हूं वही बात सच है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. कंडिका 35 में, अभियोक्त्री ने स्वीकार किया है कि घटना के दिन उसने जो अंतःवस्त्र पहना था, उसे वह अंबिकापुर ले गई थी। उसने आगे कहा कि सामूहिक बलात्कार के दौरान वह पूरी तरह नग्न थी और उसने गुप्तांग धोने के बाद अंतःवस्त्र पहना था। इस परिसाक्ष्य के आधार पर, न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में अभियोक्त्री के अंतःवस्त्र पर वीर्य के धब्बे या मानव शुक्राणुओं की उपस्थिति अपीलार्थीगण के विरुद्ध कोई ठोस कारण नहीं बनाती, खासकर जब अपीलार्थीगण के अंतःवस्त्र पर ऐसा कोई धब्बे या मानव शुक्राणु नहीं पाए गए।

13. कंडिका 45 में, अभियोक्त्री ने निम्नलिखित कहा:

"45-...यह कहना सही है कि घटना की रात मेरे घर कौन घुसा कैसे उठाकर ले गया मुझे पता नहीं चला। यह कहना सही है कि रात को मुझे उठा कर ले गया किस स्थान पर बलात्कार किया गया मुझे पता नही चला सुबह पता चला।

14. मेरा यह मानना है कि अभियोक्त्री की उपरोक्त गवाही उसे किसी भी प्रकार से विश्वसनीय नहीं बनाती है तथा अपीलकर्ता राजेन्द्र नामदेव, अरविन्द शुक्ला और चन्द्र कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (छ के तहत अपराध के लिए झूठा फंसाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

15. अभियोक्त्री अ.सा. 2 के पिता ने अपने परिसाक्ष्य के कंडिका 45 में कहा है कि अंबिकापुर पहुँचने पर वे सबसे पहले राज कुमार के घर गए थे, जिन्होंने पुलिस अधीक्षक को फ़ोन किया था। कंडिका 46 में उन्होंने कहा कि वे अंबिकापुर पुलिस थाना गए थे जहाँ अभियोक्त्री के कथन पर थाना प्रभारी ने रिपोर्ट लिखी थी। ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोक्त्री अ.सा.3 की माँ ने भी कंडिका 46 में कहा है कि अभियोक्त्री के कथन पर पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और वह और उसके पति उपस्थित थे। चूँकि अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है, अभियोजन पक्ष के विरुद्ध यह प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई होती, तो यह अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं करती।

16. जहाँ तक प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी. 1) का प्रश्न है, राज कुमार गुप्ता नामक एक प्रभावशाली स्थानीय नेता की इसमें प्रमुख भूमिका थी। अनिल सिंह, अ.सा.4, जो मुंशी थे और जो अभियोक्त्री के माता-पिता और राज कुमार के साथ पुलिस अधीक्षक के पास गए थे, ने परिसाक्ष्य के कंडिका 5 में निम्नलिखित कहा है:

> "5- ..... फिर हम लोग 3 जीर्ष में गांव के करीब पचास लोग अ०पुर में राजकुमार गुप्ता के घर गये जो कछिया का रहने वाला है, जो चलगली का क्षेत्रीय नेता है। फिर उनको सारी घटना बताये थे। फिर वो हम लोगों को लेकर एस०पी० के यहां गया, एस०पी० उस समय सर्किट हाउस में था, उसको घर नही मिला था। एस०पी० को राजकुमार ने घटना बताई थी क्योंकि लडकी का पिता कुछ बताया था, उसकी पत्नी कुछ बताती थी और लडकी कुछ और बताती थी । (underlined by me) फिर राजकुमार ने कहा कि उन तीनों की बात के आधार पर तुम एस०पी० को घटना बताओ फिर मैं एस०पी० को पूरी बात घटना बताया।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इससे पता चलता है कि पुलिस अधीक्षक को अलग-अलग बयान सुनाए गए थे। इस प्रकार, अनिल सिंह (अ.सा. 4) का साक्ष्य इस संभावना से इनकार नहीं करता कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी. 1) में घटना के बारे में कोई सच्ची कहानी नहीं बताई गई थी और राजकुमार गुप्ता के निर्देश पर उसे तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया था। इस अनुमान को कंडिक 38 में अनिल सिंह की निम्नलिखित स्वीकारोक्ति से बल मिलता है:

> 38- ..... राजकुमार ने जैसा बताया था वैसा ही मैंने प्र०पी० 1 की रिपोर्ट में इ से इ भाग में लिख दिया था । प्रार्थिया उस समय चुपचाप बैठी हुई थी। यह कहना सही है कि प्र०पी 1 के लिखने में प्रार्थिया की सहमति नही थी। गवाह स्वतः बताता है कि उसके माता पिता ने जैसा बताया था वैसा ही लिखा गया था।" (underlined by me)

17. विवेचना अधिकारी श्री एम.एस.पैकरा ने कंडिक 19 में कहा कि जाँच से पता चला है कि अभियोक्त्री और अपीलार्थी हीराराम एक-दूसरे से प्रेम करते थे। अपने परिसाक्ष्य के कंडिका 9 में, विवेचना अधिकारी ने निम्नलिखित कहा:

> "9- यह कहना सही है कि प्रार्थिया के लिखे पत्र को पढ़कर तथा जांच के द्वारा मैंने यह पाया कि प्रार्थिया हीरा से बहुत प्यार करती थी और किसी भी सूरत में उससे शादी करना चाहती थी। यह कहना गलत है कि गांव के लोग हीरा और प्रार्थिया के प्रेम के बारे में जानते थे। यह कहना सही है कि घटना के बाद समाचार पत्रिका में सत्यकथा आदि में हीरा और प्रार्थिया के प्रेम कहानी बलात्कार में बदली ऐसा छपा था। यह कहना सही है कि प्र.डी. 7 और 8 का समाचार पत्र और पत्रिका में छपी बलात्संग में बदला प्रेम प्रसंग की घटना आरोपी हीरा और प्रार्थिया से ही संबंधित है।"

18. सामूहिक बलात्कार  का अपराध अभियोक्त्री की अंतरात्मा को नष्ट कर देता है। यह उसकी मानसिकता को पूरी तरह से तोड़ देता है। 20 वर्ष की एक युवती, जिसका चार व्यक्तियों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया हो, सामान्य स्वास्थ्य या मानसिक संतुलन की स्थिति में नहीं दिखाई देगी। अनिल सिंह अ.सा. 4 ने कहा है कि राज कुमार के घर पहुँचने पर अभियोक्त्री मानसिक रूप से स्वस्थ और अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही थी। डॉ. सरिता सिंह अ.सा. 9 ने भी अनुच्छेद 15 में कहा है कि चिकित्सीस परीक्षण के समय उन्होंने अभियोक्त्री को पूरी तरह से सामान्य स्थिति में पाया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. मैंने अभियोक्त्री की माँ अ.सा. 3 के मुख्य परीक्षण को अत्यंत सावधानी से पढ़ा है। विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 450, 363 और 506-ख सहपठित धारा 34 के अंतर्गत कथित अपराध के संबंध में अभियोक्त्री और उसकी माँ के परिसाक्ष्य पर उचित रूप से अविश्वास किया है। अभियोक्त्री की मां के अनुसार, दिनांक 30.08.2001 को लगभग 11 बजे रात्रि में सामूहिक बलात्कार की कथित घटना के बाद, उसने पुलिस थाना के पीछे एक कमरे से अपनी पुत्री की आवाज सुनी। हालांकि उसने बताया है कि उसने दो अपीलार्थीगण को दरवाजे पर खड़ा देखा था, उसने अपने परिसाक्ष्य के अंत में कंडिका 3 में उन अपीलार्थीगण का नाम नहीं लिया है। कंडिका 21 में, उसने स्वीकार किया है कि गांव खोबी में शंभू के घर भेजे जाने से पहले उसकी पुत्री ने उसे कुछ नहीं बताया था। बलात्कार की कथित घटना के बाद अभियोक्त्री की मां अ.सा.3 का आचरण भी असाधारण है। उसके अनुसार, उसने अभियोक्त्री के गुप्तांगों पर किसी चोट के निशान नहीं देखे, बल्कि अभियोक्त्री को तुरंत गांव खोबी उसके चाचा के घर भेज दिया।

20. अपने परिसाक्ष्य के कंडिका 22 में, अनिल सिंह अ.सा.4 ने निम्नलिखित कहा:

"22-.....यह कहना सही है कि राजकुमार गुप्ता के कहने से चंद्रकुमार राजपूत का नाम रिपोर्ट में जोड़ा गया है। स्वतः कहता है कि राजकुमार गुप्ता ने स्पष्ट किया था कि चूंकि सभी आरोपी अनुपा को उठाकर ले गये थे और वह अपराध भी गंभीर है इसलिये चन्द्रकुमार का नाम सभी आरोपीगण में जोड़ दे।"

कंडिका 26 में, इस साक्षी ने आगे कहा:

"26- प्र0पी 1 की रिपोर्ट में अनुपा उसकी माता, पिता या राजकुमार में से किसके कहने से लिखे हो तो पूछे जाने पर गवाह बताता है कि प्र०पी० 1 की रिपोर्ट मैं राजकुमार गुप्ता के कहने से 'लिखा हूँ। राजकुमार को घटना की जानकारी प्रार्थिया उसकी माता एवं पिता एवं गांव वालों के बताने से हुई थी, घटना के दिन राजकुमार गुप्ता घटना स्थल चलगली में नही थे अम्बिकापुर में थे।"

21. जहां तक अभियोक्त्री के माता-पिता के पूर्ववृत्त का संबंध है, ऊपर वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों में, कंडिका 52 में अनिल सिंह की निम्नलिखित स्वीकारोक्ति प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यता के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न करती है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"52- यह कहना सही है कि बंगाली और उसकी पत्नी लोगों को आपराधिक मामले में फंसाते रहते है और घटना के पूर्व भी फंसायें है। यह कहना सही है कि बंगाली थाना में रिपोर्ट लिखा देता है और पैसा लेकर मामला वापस ले लेता है। गवाह स्वतः कहता है कि एस.डी.एम. साहब के साथ उसका एक ऐसा मामला था बाकी के बारे में उसे जानकारी नही है।

53- यह कहना सही है कि मैं गांव में यह सुना हूँ कि बंगाली आदि ने तथा उसके परिवार वालों ने पहले जो रिपोर्ट और गवाही दी थी उसको इसी मामले में बाद में वे लोग बदल दिये है।

54- कछिया वाला राजकुमार प्रभावशाली नेता है। वह फाड व्यक्ति है कि नहीं मैं नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि पूर्व में मैं यह बताया हूँ कि लड़की के बैठे रहते हुये राजकुमार के कहने से रिपोर्ट लिखी गई है वह सही है। मैं प्र.पी. 1 की रिपोर्ट लिखने के पहले कहा था कि लड़की और उसके परिवार के लोग पढ़े है, उन्ही से रिपोर्ट लिखवाओ। यह कहना सही है कि राजकुमार के प्रभाव के कारण एवं दबाव के कारण मैं जो बात नहीं लिखना चाहता था वह भी प्र.पी. 1 में लिखा।"

अनिल सिंह अ.सा.4 ने न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कंडिका 65 और 67 में निम्नानुसार कथन किये हैं:

"65- मैं प्र.पी. 1 की रिपोर्ट लिखते समय रिपोर्ट लिखने से मना किया था किन्तु राजकुमार गुप्ता के कहने से रिपोर्ट लिखना पड़ा।

67- जब प्र.पी.1 की रिपोर्ट लिखकर वापस आया तो गांव के लोगों से जो जानकारी मिली उसके आधार पर कहता हूँ आरोपीगण निर्दोष है।"

22. डॉ. श्रीमती सरिता सिंह, अ.सा.9 द्वारा दिनांक 03.09.2001 को अभियोक्त्री की चिकित्सीय परीक्षण के रिपोर्ट, ऊपर दिए गए कंडिका 4 में उल्लिखित, उस पर पाए गए सतही खरोंचों की अलग-अलग अवधि दर्शाती है। घटना कथित तौर पर 30 अगस्त 2001 को हुई थी। इसके बाद, अभियोक्त्री की जाँच पाँचवें दिन, अर्थात दिनांक 03.09.2001 को की गई। डॉ. सरिता सिंह, अ.सा.9 की राय में, कोई भी सतही खरोंच 72 घंटे से ज़्यादा समय तक नहीं लगी थी। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अभियोक्त्री को ये चोटें दिनांक 30 अगस्त, 2001 की रात्रि को नहीं लगी थीं।

23. अनिल सिंह, अ.सा.4 ने कंडिका 3 में आगे निम्नलिखित कहा है:

"3- मैंने सोचा कि लड़की की गलती के कारण शायद लड़की का पिता उसके साथ मारपीट कर रहा होगा तब मैं दौड़कर लड़की के घर गया, उसका घर मेरा घर पड़ोस में है, दोनों के घर में बीच की दूरी 20-25 मीटर होगी। जब मैं लड़की के घर गया तो देखा कि लड़की पलंग में सोई थी और रो रही थी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कंडिका 29 में, इस साक्षी ने आगे कहा:

"29- प्रार्थिया से हम लोग अलग से यह पूछे थे कि क्या घटना घटी थी तब लडकी के पिता ने हमारे सामने उसको धमकी दी थी कि साली तू सच सच बोलना नही तो तेरे को काट दूंगा, तब लडकी ने उसके साथ चार लोगो ने बलात्कार किया था बतलाई थी।"

24. इस पृष्ठभूमि में डॉ. सरिता सिंह अ.सा.9 के परिसाक्ष्य की जांच करने पर, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभियोक्त्री को लगी सतही चोटें पिता द्वारा की गई पिटाई के परिणामस्वरूप थीं, क्योंकि एक समाचार पत्र की रिपोर्ट प्र.डी. 7 में भी इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है:

" ..... घर पहुंचने के बाद परिवारजनों द्वारा न केवल उसके साथ मार-पीट की गई बल्कि दोबारा ऐसा करने के स्थिति में उसे खड़ी चेतावनी भी दी गई। लड़की के शरीर पर आंशिक तौर पर उभर आए चोटों के निशानें देखकर घर वालो की प्रताड़न का अंदाज सहजता के साथ लगाया जा सकता है।"

25. विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर ने स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि अभियोक्त्री, अपीलार्थी हीराराम से अत्यधिक प्रेम करती थी और इसी पागलपन में वह स्वेच्छा से हीराराम के घर गई थी। विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अभियोक्त्री के हीराराम के साथ पूर्व यौन संबंध होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस संभावना को ध्यान में रखते हुए, यह अत्यधिक असंभव प्रतीत होता है कि अपीलार्थी हीराराम अभियोक्त्री के साथ तीन अन्य अपीलार्थीगण द्वारा सामूहिक बलात्कार की अनुमति देगा। डॉ. सरिता सिंह ने स्पष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियोक्त्री के गुप्तांगों पर कोई आंतरिक या बाहरी चोट नहीं देखी गई थी। यह निष्कर्ष कि योनि शिथिल थी और उसमें दो उंगलियां आसानी से प्रवेश कर गईं, पूर्व संभोग का संकेत देता है क्योंकि गुप्तांगों की जांच के दौरान कोई दर्द या कोमलता नहीं थी और कोई चोट नहीं देखी गई थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि आंतरिक या बाहरी जननांगों से कोई रक्तस्राव नहीं देखा गया था। यह अभियोक्त्री की इस परिसाक्ष्य को पूरी तरह से झूठा साबित करता है कि उसके गुप्तांगों से रक्तस्राव हुआ था और अभियोक्त्री की सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाने की संभावना को खारिज करता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

26. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर समग्र रूप से विचार करने के बाद, मेरा यह सुविचारित मत है कि अपीलार्थीगण चंद्र कुमार, अरविंद शुक्ला और राजेंद्र नामदेव को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के तहत अपराध के लिए आरोप में झूठे फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियोक्त्री अपीलार्थी हीराराम से अत्यंत प्रेम करती थी और जानबूझकर उससे मिलने

गई थी, उसके गुप्तांगों पर किसी भी प्रकार की चोट के अभाव के कारण, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अपीलार्थी हीराराम ने अभियोक्त्री के साथ उसकी सहमति से यौन संबंध बनाए थे। इस मामले के इस दृष्टिकोण से, अभियोजन पक्ष सभी अपीलार्थीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के तहत युक्तियुक्त संदेह से परे दोष सिद्ध करने में विफल रहा है।

27. परिणामस्वरूप, सभी अपीलें अर्थात् दाण्डिक अपील क्रमांक 389/2004, दाण्डिक अपील क्रमांक 388/2004, दाण्डिक अपील क्रमांक 393/2004 और दाण्डिक अपील क्रमांक 396/2004 स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के अंतर्गत दोषसिद्धि और विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर द्वारा दिये गये दंडादेश को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थीगण को संदेह का लाभ देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के तहत आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से उद्धृत अंशों और निर्णय में अभियोक्त्री, उसके पिता और माता के नाम का लोप उनकी पहचान छिपाने के लिए किया गया है।

29. इस निर्णय की एक प्रति दाण्डिक अपील क्रमांक 388/2004, दाण्डिक अपील क्रमांक 393/2004 और दाण्डिक अपील क्रमांक 396/2004 के अभिलेख में रखी जाए। अपीलार्थीगण द्वारा अदा किया गया अर्थदण्ड, यदि कोई हो, उन्हें वापस किया जाए। जमानत पत्र तथा प्रतिभूति बंध पत्र तत्काल निरस्त किए जाते हैं।

सही/-

**दिलीप रावसाहेब देशमुख**

न्यायाधीश

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं

यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

**Translated By ..... Vijay Kumar Sahu, Advocate**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur